

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.9(10)चि.स्वा./ग्रुप-2/17

जयपुर, दिनांक : 18.09.2017

आ दे श

डा. एस. एस. भाटी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तपुरा, जालौर के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार डा. एस. भाटी को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है।

निलम्बन काल में डा. एस. एस. भाटी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. भाटी को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

- SP -
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1— विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2— विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 3— निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4— निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 5— निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डा. भाटी के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें एवं उपस्थिति पंजिका में डा. भाटी की उपस्थिति दर्ज करावें।
- 6— संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर
- 7— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
- 8— डा. एस. एस. भाटी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तपुरा, जालौर द्वारा निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 9— कम्प्यूटर सेल / निजी / रक्षित पत्रावली
- 10— प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव